क्रम-संख्या–138 (ड)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन० पी० 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 अगस्त, 2021

श्रावण 28, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद

संख्या 5023/परिषद् / विनियम-2021

लखनऊ, 18 अगस्त, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०–57

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1962) की धारा 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके परिषद राज्य सरकार के अनुमोदन से सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली, 1996 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है:–

सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2021

1–यह विनियमावली सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2021 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम

2–सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली, 1996, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:– विनियम 2 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 से है;	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 से है;
(ख) प्रधानाचार्य और अध्यापक पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और अन्य पदों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधानाचार्य से है;	(ख) प्रधानाचार्य / निदेशक पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य प्रबन्ध समिति तथा विभागाध्यक्ष, व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और अन्य पदों के सम्बन्ध में संस्थाओं के प्रधानाचार्य से है;
(ग) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;	(ग) ए0आई0सी0टी0ई0 का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली भारत सरकार से है;
(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;	(घ) ए0जी0पी0 का तात्पर्य शैक्षिक ग्रेड वेतन से है,
(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;	(ङ) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;
(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;	(च) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;	(छ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(ज) "संस्था" का तात्पर्य सरकार से सहायता प्राप्त किसी सम्बद्ध संस्था से है;	(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और विनियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, यदि कोई विनियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो;	(झ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान विनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।	(ञ) "संस्था" का तात्पर्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली किसी सम्बद्ध संस्था से है; (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य विनियमावली के अनुसार और यदि विनियमावली न हो तो तत्समय सरकार द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात संवर्ग में किसी पद पर की गयी ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो; (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

विनियम–14 का संशोधन

3–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम 14 के उप विनियम 5 और 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप विनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
(5)–चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और विनियम–5 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को , जो अपेक्षित अर्हता रखते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगी या छानबीन परीक्षण की व्यवस्था, जैसा कि वह उचित समझे कर सकती है।	(5)–सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली, 1996 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में यथा निर्दिष्ट चयन समिति, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और विनियम–5 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलायेगी, ऐसे अभ्यर्थियों, जो लिखित परीक्षा में अर्ह होंगे, को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा : परन्तु यह कि उनके लिए अपेक्षित अर्हता पूर्ण करना आवश्यक होगा।
(6)–चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणताक्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान में रखा जायेगा। सूची मे नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी।	(6) (एक) चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा हेतु 80 प्रतिशत और साक्षात्कार हेतु 20 प्रतिशत अधिमान होगा। (दो) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता/प्रवीणता के क्रम में व्याख्याता/कर्मशाला अधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के चयन की स्थिति में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंको और केवल प्रधानाचार्य/निदेशक एवं विभागाध्यक्ष के

स्तम्भ–1 विद्यमान उप विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
	चयन के मामले में साक्षात्कार में प्राप्त अंको से प्रकट हो, अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति सेवा हेतु उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में उनके नामों को सुव्यवस्थित करेगी। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)। चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

विनियम–19 का संशोधन

4–उक्त विनियमावली के विनियम–19 में उप विनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम (5) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

"(5)–प्रधानाचार्य पद के लिए, यदि कोई व्यक्ति, जो पहले से ही राज्य के किसी सरकारी सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थान में नियुक्त हो, राज्य के अन्य सरकारी सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्था में रिक्ति के सापेक्ष विकल्प देने हेतु इच्छुक हो, तो उसे दोनों संस्थाओं के प्रबन्ध समिति की सहमति से स्थानान्तरित किया जा सकता है और ऐसे प्रधानाचार्य को वेतन/भत्ते आदि का भुगतान वर्तमान में नियोजित संस्था के वेतन/भत्तों के समान संदत्त किया जायेगा, ऐसा परिणामी रिक्त पद उस संस्था की चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जा सकता है, जहाँ ऐसी रिक्ति होती है।"

परिशिष्ट–क का संशोधन

5–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट 'क' के लिए मद संख्या–1, 2, 3, 5, 6 और 28 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी मदें रख दी जायेंगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान मदें — स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें

सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली–1996				ए0आई0सी0टी0ई0 विनियम–2019 के अनुसार और दिनांक 03.05.2018 से समय–समय पर पुनरीक्षित		
क्र0 सं0	पदनाम	भर्ती का स्रोत	वेतनमान	पद का नाम	भर्ती का स्रोत	वेतनमान
	1	2	3	1	2	3
1	प्रधानाचार्य 1–क– निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एवं रूरल टेक्नालाजी	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	15600–39100 (पे बैण्ड–3) ग्रेड पे–7600/–	1–प्रधानाचार्य/ निदेशक	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रारम्भिक वेतन 1,31,400 लेवल–13क1 विशेष भत्ता–4500 रूपये
2	वरिष्ठ प्रवक्ता	संबंधित विषय के मौलिक रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं, जिन्होंने विभाग में प्रवक्ता के रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	3000–100–3500–125–4500 रूपये	2–विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विषय)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रारम्भिक वेतन 1,31,400 लेवल–13क1
				विभागाध्यक्ष (अभियंत्रणेत्तर विषय)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रारम्भिक वेतन 1,31,400 लेवल–13क1

	स्तम्भ—1 विद्यमान मदें			स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें		
	1	2	3	1	2	3
3	प्राविधिक विषय के प्रवक्ता	(एक)100 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी**:—ऐसे सहायक प्रवक्ता, प्रवक्ता श्रेणी में सम्मिलित माने जायेगें जिन्हें समयमान—वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत रूपया—8000—13500 (जो प्रवक्ता का वेतनमान है) का वेतनमान स्वीकृत हो चुका हैं या भविष्य में स्वीकृत होगा। प्रवक्ता के उच्चीकृत पद किसी भी कारण से रिक्त होने की स्थिति में उनमें से प्रत्येक तीसरा पद स्वतः उत्सादित समझा जायेगा।	8000—275—13500 रूपये	3—व्याख्याता अभियंत्रण एवं तकनीकी शाखायें	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रारम्भिक वेतन 56,100 लेवल—9क एवं प्रारम्भिक वेतन 57,700 लेवल 10 अगला वेतन शासनादेश संख्या—474 / सोलह —2—2020—138 (डब्लू) / 99, दिनांक 16.03.2020 में दिये गये उपबन्ध के अनुसार अनुमन्य है।
5	कर्मशाला अधीक्षक	संबंधित शाखा के मौलिक रूप से नियुक्त अनुदेशकों, सहायक कर्मशाला अधीक्षक, सहायक प्रवक्ताओं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आटो इंजीनियरिंग में परिषद् के डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता— प्राप्त अन्य अर्हता रखते हों और भर्ती के वर्ष में प्रथम दिवस को पन्द्रह वर्ष की ऐसी सेवा पूर्ण कर ली हो। उन व्यक्तियों, जो इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के एसोसियेट मेम्बर या टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल से डिप्लोमाधारी हों के लिये ऐसे दिवस को दस वर्ष की सेवा की आवश्यकता होगी। या मौलिक रूप से	2200—75—2800—द0रो0—100—4000 रूपये।	5—कर्मशाला अधीक्षक	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रारम्भिक वेतन 56,100 लेवल—9क एवं प्रारम्भिक वेतन 57,700 लेवल 10 अगला वेतन शासनादेश संख्या—474 / सोलह —2—2020—138 (डब्लू) / 99, दिनांक 16.03.2020 में दिये गये उपबन्ध के अनुसार अनुमन्य है।

स्तम्भ–1 विद्यमान मदें				स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें		
	1	2	3	1	2	3
		नियुक्त ऐसे कर्मशाला अनुदेशकों जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण–पत्र हो या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखते हो और भर्ती के वर्ष में प्रथम दिवस को इस रूप में पन्द्रह वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, भी कर्मशाला अधीक्षक के पद की पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।				
6	प्रवक्ता (अप्राविधिक)	(एक) पचहत्तर प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (दो) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुदेशकों और कनिष्ठ प्रवक्ताओं जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पन्द्रह वर्ष की ऐसी सेवा पूर्ण कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा उन व्यक्तियों, जो विषय में स्नातकोत्तर हों, दस वर्ष के अनुभव की आवश्यकता होगी।	2200–75–2800–द०रो०–100–4000 रूपये।	6–व्याख्याता (अभियंत्रणेत्तर विषय)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रारम्भिक वेतन 56,100 लेवल–9क एवं प्रारम्भिक वेतन 57,700 लेवल 10 अगला वेतन शासनादेश संख्या–474 / सोलह–2–2020–138 (डब्लू) / 99, दिनांक 16.03.2020 में दिये गये उपबन्ध के अनुसार अनुमन्य है।
28	पुस्तकालयाध्यक्ष	चयन–समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	1200–30–1560–द०रो०–40–2040 रूपये।	28–पुस्तकालयाध्यक्ष	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रारम्भिक वेतन 56,100 लेवल–9क एवं प्रारम्भिक वेतन 57,700 लेवल 10 अगला वेतन शासनादेश संख्या–474 / सोलह–2–2020–138 (डब्लू) / 99, दिनांक 16.03.2020 में दिये गये उपबन्ध के अनुसार अनुमन्य है।

परिशिष्ट–'ख'

6–उक्त विनियमावली में, परिशिष्ट–ख में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी मद संख्या–1,2,3,5,6 और 28 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी मदें रख दी जायेंगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1

विद्यमान मदें

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें

सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली, 1996						पदनाम	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार अर्हता तकनीकी संस्था(डिप्लोमा) विनियम–2019 में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग के लिए वेतनमान, सेवाशर्तें और अर्हतायें	आयु सीमा	
क्र0सं0	पदनाम	अर्हतायें: अनिवार्य	अर्हतायें: अधिमानी	आयु सीमा: न्यूनतम	आयु सीमा: अधिकतम			न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
1–	1–प्रधानाचार्य 1–क– (निदेशक), इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एवं रूरल टेक्नालाजी, इलाहाबाद	1–इंजीनियरिंग या प्राविधिकी में प्रथम श्रेणी की स्नातक उपाधि अथवा भौतिक विज्ञान / गणित / रसायन विज्ञान / अंग्रेजी / वणिज्य में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। 2–सम्बन्धित संस्थान का ज्येष्ठतम प्रवक्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक पद हेतु आवेदन कर सकेगा। 3–विभागाध्यक्ष या प्रवक्ता के पद पर शिक्षण देने या किसी सरकारी सस्थान / विभाग / सार्वजनिक उपक्रम अथवा लिमिटेड कम्पनी में ज्येष्ठ प्रबंधकीय पद पर 10 वर्ष का अनुभव। इंजीनियरिंग या प्राविधिकी में स्नातकोत्तर उपाधिधारियों के लिये अनुभव में तीन वर्ष की शिथिलता। 4–हिन्दी का ज्ञान **टिप्पणी**–सरकारी / सहायता प्राप्त संस्थाओं / संस्थानों / सार्वजनिक उपक्रमों एवं लिमिटेड संगठनों का अनुभव स्वीकार किया जायेगा और	इंजीनियरिंग / प्राविधिकी अथवा सम्बन्धित गैर तकनीकी विषयों में शोध कार्य	35 वर्ष	50 वर्ष	1–प्रधानाचार्य / निदेशक	सीधीभर्ती:– प्राविधिक शिक्षा / शोध / उद्योग में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम 16 वर्षों के अनुभव के साथ सुसंगत शाखा (ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में पी0एच0डी0 और स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम [illegible] जिसमें से कम से [illegible] तीन वर्ष का पश्च पी0एच0डी0 अनुभव और विभागाध्यक्ष के स्तर से अनिम्न व्यक्ति का 5 वर्ष का अनुभव हो। **अथवा** सुसंगत शाखा (ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी तथा प्राविधिक शिक्षा / शोध / उद्योग के अध्यापन में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव जिसमें से विभागाध्यक्ष के स्तर से अनिम्न व्यक्ति का 5 वर्ष का अनुभव हो।	35 वर्ष	50 वर्ष

स्तम्भ–1 विद्यमान मदें						स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
		उसकी गणना तभी की जायेगी जब अभ्यर्थियों ने विहित शैक्षिक अर्हतायें प्राप्त कर ली हो।							
2–	वरिष्ठ प्रवक्ता	1–इंजीनियरिंग या प्राविधिकी के सम्बन्धित विषय में पचपन प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि अथवा एसोसियेशन आफ इंजी0 का ऐसोसियेट मेम्बर। 2–आठ वर्ष की व्यावसायिक अथवा शिक्षण अनुभव जिसमें से पाँच वर्ष का अनुभव प्रवक्ता के पद पर होना अनिवार्य है। इंजीनियरिंग अथवा प्राविधिकी में स्नातकोत्तर उपाधिधारियों के लिए अनुभव में दो वर्ष की शिथिलता। 3– हिन्दी का ज्ञान।	सम्बन्धित विषय में शोध कार्य	28 वर्ष	45 वर्ष	2–विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विषय)	(क) सीधी भर्ती :– सुसंगत क्षेत्र में पी0एच0डी0 तथा सुसंगत शाखा (ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी प्राविधिक शिक्षा/शोध/उद्योग में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम 12 वर्षों का अनुभव हो जिसमें से न्यूनतम व्याख्याता (चयन ग्रेड–एक) के स्तर पर कम से कम 02 वर्ष का पश्च पी0एच0डी0 अनुभव होगा। **अथवा** प्राविधिक शिक्षा/शोध/उद्योग में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम 15 वर्षों के अनुभव के साथ सुसंगत शाखा (ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें से व्याख्याता (चयन ग्रेड–दो) के स्तर पर कम से कम 03 वर्षों का अनुभव हो।	28 वर्ष	45 वर्ष
						विभागाध्यक्ष (अभियंत्रणेत्तर विषय)	(क) सीधी भर्ती :– सुसंगत क्षेत्र में पी0एच0डी0 और सुसंगत शाखा (ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी प्राविधिक शिक्षा/शोध/उद्योग में	28 वर्ष	45 वर्ष

स्तम्भ–1 विद्यमान मदें						स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
							उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम् 12 वर्षों का अनुभव हो, जिसमें से न्यूनतम् व्याख्याता (चयन ग्रेड–एक) के स्तर पर कम से कम 2 वर्ष का पश्च पी0एच0डी0 अनुभव होगा। अथवा प्राविधिक शिक्षा / शोध / उद्योग में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम् 15 वर्षों के अनुभव के साथ सुसंगत शाखा (ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि हो, जिसमें से व्याख्याता (चयन ग्रेड–दो) के स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।		
3–	इंजीनियरिंग विषय में प्रवक्ता	1–इंजीनियरिंग अथवा प्राविधिकी के सम्बन्धित विषय में पचपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि अथवा ए0एम0आई0ई0 (इण्डिया)। 2– हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी:–जहाँ सम्बन्धित विषय में मूल उपाधि नहीं दी जाती है या जहां वह उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां वैकल्पिक या विशेष विषय के रूप में सम्बन्धित विषय के साथ मूल स्नातक उपाधि पर विचार किया जायेगा।	1–सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2–एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव। टिप्पणी:– सरकारी / सहायता प्राप्त संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों अथवा लिमिटेड संगठनों का अनुभव स्वीकार्य होगा।	21 वर्ष	40 वर्ष	3–व्याख्याता अभियंत्रण और तकनीकी शाखायें	व्याख्याता (लेवल–9क, प्रविष्टि वेतन रू0–56,100 / –) की सीधी भर्ती के लिये (क) अभियंत्रण / प्रौद्योगिकी सुसंगत शाखा (ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में प्रथम श्रेणी के साथ बी0ई0 / बी0टेक0 / बी0एस0 (ख) भेषजी प्रथम श्रेणी के साथ बी0फार्मा0 (ग) वास्तुकला प्रथम श्रेणी के साथ बी0आर्क0 अथवा किसी सहबद्ध क्षेत्र में 4 वर्षीय उपाधि। व्याख्याता (लेवल–10, प्रविष्टि वेतन रू0–57,700 / –) की सीधी भर्ती के लिये (क) तकनीकी शाखाओं के लिये	21 वर्ष	40 वर्ष

स्तम्भ—1 विद्यमान मदें						स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
							चयन के समय में सुसंगत शाखाओं (ए0आई0सी0 टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक और स्नातकोत्तर की दो उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम श्रेणी।		
5—	कर्मशाला अधीक्षक	1— मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष अर्हता और उत्पादन अनुरक्षण में दो वर्ष का औद्योगिक अनुभव अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष अर्हता और उत्पादन और अनुरक्षण में आठ वर्ष का औद्योगिक अनुभव। 2— हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी—केवल सरकारी संस्थाओं / सार्वजनिक उपकमों अथवा लिमिटेड संगठनों का औद्योगिक अनुभव स्वीकार्य होगा।	——	21 वर्ष	40 वर्ष	5—कर्मशाला अधीक्षक	यॉंत्रिक अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।	21 वर्ष	40 वर्ष
6—	इंजीनियरिंग से भिन्न विषयों के प्रवक्ता	(1) 55 प्रतिशत अंक सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) हिन्दी का ज्ञान।	बी0एड0 या समकक्ष उपाधि	21 वर्ष	40 वर्ष	6—व्याख्याता (अभियंत्रणेत्तर विषय)	व्याख्याता (लेवल—9क, प्रविष्टि वेतन रु0—56,100 / —) की सीधी भर्ती के लिये (क) होटल प्रबन्धन और खानपान प्रौद्योगिकी—होटल प्रबन्धन और खानपान प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी के साथ न्यूनतम् 04 वर्षीय स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (ख) फाइन आर्ट्स—फाइन आर्ट्स (अप्लाइड आर्ट्स पेन्टिंग और स्कल्पचर) की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि।	21 वर्ष	40 वर्ष

स्तम्भ–1 विद्यमान मदें						स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
							(ग) डिजाइन– डिजाइन में स्नातक उपाधि अथवा डिजाइन के किसी एक शाखा में न्यनूतम् 04 वर्षीय डिप्लोमा। फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स और वास्तुकला या अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (घ) विज्ञान और मानविकी– समुचित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि व्याख्याता (लेवल–10, प्रविष्टि वेतन रू0–57,700/–) की सीधी भर्ती के लिये (क) विज्ञान एवं मानविकी के लिये किसी सुसंगत विषय में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोतर उपाधि या उसके समकक्ष और यू0जी0 सी0 या सी0एस0 आई0आर0 द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा एस0एल0ई0टी0/एस0ई0टी0 जैसे यू0जी0सी0 द्वारा प्रत्यायित कोई समान परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।		
28	पुस्तकालयाध्यक्ष	पुस्तकालय विज्ञान में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि।	.....	21 वर्ष	32 वर्ष	28–पुस्तकालयाध्यक्ष	1. पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष और कम्प्यूटर ज्ञान के साथ निरन्तर उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख। 2. यू0जी0सी0 द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अथवा यू0जी0सी0 द्वारा यथा अनुमोदित अन्य समकक्ष परीक्षा में अर्हता हो। (क) डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के लिये ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष,	21 वर्ष	40 वर्ष

स्तम्भ–1 विद्यमान मदें						स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
							जिनकी भर्ती डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में विद्यमान भर्ती नियमावली के साथ दिनांक 01.01.1996 और 15.03.2000 के मध्य हुई हो, ज्येष्ठ वेतनमान के मात्र अगले उच्चतर ग्रेड में सी0ए0एस0 के अधीन उच्चीकरण हेतु विचारगत किये जायेंगे। तथापि सी0ए0एस0 के अधीन अग्रतर उच्च संचलन हेतु उनसे उसी रीति से न्यूनतम् शैक्षिक अर्हता अर्जित किया जाना अपेक्षित होगा, जैसाकि ए0आई0सी0टी0ई0 अधिसूचना–2000 (उपाधि) और अनुवर्ती स्पष्टीकरणों / अधिसूचनाओं में निर्धारित है। (ख) स्नातक स्तरीय संस्थाओं के लिये यथोक्त।		

टिप्पणी:–

1– व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के स्तर पर प्रारम्भिक सीधी–भर्ती के लिये शैक्षणिक और शोध अपेक्षाओं के सम्बंध में पात्रता शर्तें, विनियमों के माध्यम से अनुमोदित 40 विषयों के निमित्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा विहित किये जायेंगे या किये जा सकते हैं या किये गये हों।

2– विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड के वेतनों से संबंधित समस्त वृद्धियां, ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित अन्यून दो सप्ताह की अवधि के प्रत्येक दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों और टी0ई0क्यू0 आई0पी0 द्वारा प्रायोजित प्रत्येक एक सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रमों के पूरा होने के अध्यधीन प्रभावी होंगी।

3– पी0एच0डी0 की समकक्षता, मुख्य लेखक के रूप में पदधारी के अन्यून 2.0 संचयी समाघात सूचकांक वाले प्रत्येक 05 अन्तराष्ट्रीय जर्नल पेपर प्रकाशित होने और लेखन विशेषज्ञता के क्षेत्र में 5 प्रकाशनों पर आधारित होगी।

4– पी0एच0डी0 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होगी।

5– शोध अनुभव के मामले में उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख और पुस्तक / शोध पत्र प्रकाशन / आई0पी0आर0 / पेटेंट अपेक्षित होंगे, जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझा जाय। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है तो वही अनुभव उस प्रबन्धकीय स्तर पर होगा जो ऐसे विभागाध्यक्ष के समकक्ष होगा, जिसकी अभिकल्पन, नियोजन, निष्पादन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवीकरण, प्रशिक्षण, प्राविधिक पुस्तकों, शोध पत्र प्रकाशनों / आई0पी0आर0 / पेटेंट्स आदि में सक्रिय सहभागिता का कीर्तिमान हो जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाय।

औद्योगिक अनुभव का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(एक) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्य करने के अनुभव के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा, तथापि निजी क्षेत्र पर भी विचार किया जा सकता है, परन्तु उद्योग के पास सफलतापूर्वक निरन्तर कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (अनुभव) प्रस्तुत करने के पश्चात ही अनुभव पर विचार किया जा सकता है।

(तीन) उद्योग प्रचालन क्षेत्र, सुसंगत शाखा क्षेत्र से सम्बन्धित होगा।

(चार) अनुभव प्रमाण–पत्र में वर्क प्रोफाइल, पदनाम और सेवा अवधि सम्मिलित होंगे।

(पाँच) उद्योगों में की गई कुल सेवा का 50 प्रतिशत सेवा को अध्यापन अनुभव के समकक्ष माना जायेगा, परन्तु कुल अनुभव कम से कम 10 वर्ष और उससे अधिक का हो।

6–विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के पद हेतु प्रबंधन और नेतृत्व स्वभाव का होना आवश्यक है जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

7–यदि वर्ग/श्रेणी न प्रदान की गई हो तो कुल योग का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्रथम श्रेणी/वर्ग के समकक्ष समझा जायेगा, यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया जाता है तो सी0जी0पी0ए0 को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में सपरिवर्तित किया जायेगा–

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

8–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक अर्हताओं की समस्त शर्तें, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी–भर्ती हेतु प्रयोज्य होंगी।

9–सरकारी संस्थाओं, संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार्य होगा और उसकी गणना अभ्यर्थी द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् की जायेगी।

10–आवश्यक अर्हता के संबंध में जहाँ संबंधित विषय में मूल उपाधि नहीं दी जाती है, वहाँ वैकल्पिक तथा विशेष विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ प्रथम श्रेणी में मूल स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि पर विचार किया जायेगा।

11–अन्य समस्त शर्तें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (डिप्लोमा) विनियम–2019 के अनुसार लागू होंगी और समय–समय पर संशोधित की जायेंगी।

आज्ञा से,

सुनील कुमार सोनकर,

सचिव,

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5023/Parishad/Regulations-2021, dated August 18, 2021:

No. 5023/Parishad/Regulations-2021

Dated Lucknow, August 18, 2021

IN exercise of the powers under section 23 of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 17 of 1962) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Board with the approval of the State Government makes the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Institution Receiving Grant-in-Aid from the Government Regulations, 1996.

THE UTTAR PRADESH PRAVIDHIK SHIKSHA INSTITUTION RECEIVING GRANT-IN-AID FROM THE GOVERNMENT (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

Short title

1. **These regulations may be called the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Institution Receiving Grant-in-Aid from the Government (Fifth Amendment)** Regulations, 2021.

Amendment of rugulation 2

2. In the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Institution Receiving Grant-in-Aid from the Government Regulations,1996 hereinafter referred to as the said regulation for regulation set out in Column-I below, the regulation as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing regulation*	COLUMN-II *Regulation as hereby substituted*
(a) 'Adhiniyam' means the Uttar Pradesh Pravidhik shiksha Adhiniyam, 1962	(a) 'Adhiniyam' means the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962
(b) 'Appointing Authority' in reletion to the post of Prinicipal and teacher, means the Chairman of the Committee of Management and in relation to the other posts, means the Prinicipal of the Institutions;	(b) 'Appointing Authority'in relation to the post of Principal/Director means the Committee of Management, and to the post of Head of Department, Lecturer, Workshop Superintendent, Librarian means the Chairman of the Committee of Management and in relation to the other posts, means the Prinicipal of the Institutions;
(c) 'Backward classes' means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 as a amended from time to time.	(c) AICTE means All India Council of Technical Education New Delhi, Government of India.
(d) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India Under Part-II of the Constitution	(d) AGP means Academic Grade Pay
(e) 'Consitution' means the constitution of India;	(e) 'Backward classes' means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.
(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;	(f) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution
(g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;	(g) 'Constitution' means the Constitution of India;
(h) 'Institution' means an affiliated institution receiving grant-in-aid from the Government;	(h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
(i) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an *adhoc* appointment, on a post in the cadre, made after selection in accordance with the regulations and, if there are no regulations, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;	(i) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
(j) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.	(j) 'Institution' means an affiliated institution receiving grant-in-aid from the Government;

COLUMN-I		COLUMN-II
Existing regulation		*Regulation as hereby substituted*
		(k)'Substantive appointment' means an appointment, not being an *adhoc* appointment, on a post in the cadre, made after selection in accordance with the regulations and, if there are no regulations, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
		(l) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Amendment of regulation 14

3. In the said regulation for sub regulation 5 and 6 of regulation 14 set out in column-I below, the sub regulations as set out in column-II shall be *substituted*, namely.

COLUMN-I		COLUMN-II
Existing sub- regulation		*sub-regulations as hereby substituted*
(5) The selection committee shall scrutinize the application and, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other categories under regulation 5 call for interview such number of candidates, who fulfill the requisite qualification, or may arrange a screening test, as they consider proper.		(5) The selection committee, as referred in The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Instituation Receiving Grant-in-Aid from the Government Regulations, 1996 (as amended from time to time), shall scrutinize the application and, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under regulation 5 call for written test. Candidates, who will qualify in written will be called for interview: Provided that they must fulfill the requisite qualification.
(6) The selection committee shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate, in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be larger but not larger by more than 25 per-cent than the number of vacancies.		(6) (I)The weightage for the written examination test will be 80% and for interview 20% in selection process. (II) The selection committee shall prepare a list of the candidates in the order of their merit/proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the written examination and interview in the case of selection of Lecturer/Workshop superintendent and Librarian and marks obtained in interview only in the case of selection of Principal/Director and Head of Department. If two or more candidates obtain equal marks, the selection committee shall arrange their names in the order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 per-cent) than the number of vacancies. The selection committee shall forward the list to the appointing authority.

Amendment of regulation 19

4. In the said regulations in regulation 19, *after* sub-regulation (4) the following sub-regulation (5) shall be *inserted*, namely:-

"(5) For the post of Principal, if any person who is already appointed in any Government-Aided Polytechnic Institution of the State, desires to opt for another Government-Aided Polytechnic Institution in the State, against the vacancy, he may be shifted to that institution by the concurrence of the Committee of Management of both the institution and such principal shall be paid the salary/allowances of the institution of that he is currently employed with. The resultant vacant post may be fulfilled by the selection procedure of that institution, where vacancy occurs."

Amendment of Appendix A

5. In the said regulations in appendix A for items numbers 1,2,3,5,6 and 28 set out in column-I below, the items as set out in column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I				COLUMN-II		
Existing Items				*Items as by here substituted*		
The Uttar Pradesh PravidhikShikha Institution Receiving Grant-in-Aid from the Government Regulations,1996				As per AICTE Regulation 2019 and Revised from time to time effective from 03-05-2018		
	Name of post	Source of recruitment	Pay Scale	Name of post	Source of recruitment	Pay Scale
	1	2	3	4	5	6
1.	Principal/1 (A) director, institute of Engineering and Rural Technology, Allahabad	By direct recruitment through the selection committee.	15600-39100 P.B-3 Grade Pay 7600	Principal/ Director	by direct recruitment through the selection committee	Entry Pay : 1,31,400 Level: 13A1. Special Allowance-4500/-
2.	Senior Lecturer	By promotion through the selection committee on the basis of seniority subjects to the rejection of the unfit from amongst substantively appointed, who have put at least 5 years service as lecturer in department in the relevant subjects.	3000-100-3500-125-4500	Head of Department (Engineering Subject) Head of Department (Non Engineering Subject)	By direct recruitment through the selection committee By direct recruitment through the selection committee	Entry Pay : 1,31,400 Level: 13A1 Entry Pay : 1,31,400 Level: 13A1
3.	Lecturer in Technical Subjects	1. 100 per-cent by direct recruitment through selection committee. Note-Assistant lecturers, who	8000-275-13500	Lecturer in Engineering and Technical Branches	By direct recruitment through the selection committee	Entry Pay : 56,100 Level: 9A & Entry Pay : 57,700 Level: 10

COLUMN-I				COLUMN-II		
Existing Items				*Items as by here substituted*		
	1	2	3	4	5	6
		have been granted or to be granted in future the pay scale of Rs.8000-275-13500(pay scale of lecturer)under the time scale arrangement, shall be deemed to be included in the category of lectureres. Every third upgraded post of lecturers, becoming vacant for any reason shall be treated as abolished automatically.				Next pay level is permissible as per provision given in GO NO-474/Solah-2-2020-138(w)/99 Dated 16-03-2020
5.	Workshop Superintendent	From amongst substantively appointed instructors, assistant workshop superintendent and assistant lecturers of the concerned discipline who possess diploma in mechanical engineering or automobile engineering of the board or any other qualification recognized by the government as equivalent there to and have completed fifteen years service as such on the first day of the year of recruitment. For	100-E.B.-4000	Workshop superintendent	By direct recruitment through the selection committee	Entry Pay : 56,100 Level: 9A & Entry Pay : 57,700 Level: 10 Next pay level is permissible as per provision given in GO NO-474/Solah-2-2020-138(w)/99 Dated 16-03-2020

COLUMN-I				COLUMN-II		
Existing Items				*Items as by here substituted*		
	1	2	3	4	5	6
		persons who are associate member of institution of engineers (India) or diploma holders from technical teachers training institute, ten years service on the first day of such day shall be required. Such substantively appointed Workshop instructors possessing industrial training institute certificate or an other qualification recognised by the Government as equivalent thereto and have completed fifteen years' service as such on the first day of the year of recruitment shall also be eligible for the promotion to the post of workshop Superintendent.	-			
6.	Lecturer non-Technical	1. Seventy-five per-cent by direct recruitment through selection committee. 2.Twenty-five	2200-75-2800-E.B.-100-4000	Lecturer (Non-Engineering Subject)	By direct recruitment through the selection committee.	Entry Pay : 56,100 Level: 9A & Entry Pay : 57,700 Level: 10 Next pay

COLUMN-I				COLUMN-II		
Existing Items				*Items as by here substituted*		
	1	2	3	4	5	6
		percent by promotion through the selection committee from amongst substantively appointed instructors and junior lecturers who have completed fifteen years service as such on the first day of the years of recruitment, for persons who are graduate in the subject ten years experience shall be required.				level is permissible as per provision given in Go No.-474/Solah-2-2020-138(w)/99, dated 16-03-2020
28.	Librarian	By direct recruitment through the selection committee	Rs-1200-30-1500-E.B-40-2040	Librarian	By direct recruitment through the selection committee	Entry Pay : 56,100 Level: 9A Next pay level is permissible as per provision given in Go No.-474/Solah-2-2020-138(w)/99, dated 16-03-2020

Amendment of Appendix B

6. In the said regulations in appendix B *for* item numbers 1,2,3,5,6 and 28 setout in column-I below, the items as set out in column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I						COLUMN-II			
Existing Items						*Items as hereby substituted*			
The Uttar Pradesh Pravidhik Shikha Institution Receiving Grant in Aid from the Government Regulations,1996						Name of post	Qualification as per All India Council for Technical Education (Pay Scales, Service Conditions and Qualifications For The Teachers And Other Academic Staff In Technical Institutions (Diploma) Regulations, 2019	Age	
	Name of post	Qualification		Age					
		Essential	Preferential	Mini-mum	Maxi-mum			Minimum	Maximum
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
	Principal/ I(A) Director,	First class bachelors degree in	Research work in Engineering/	35 years	50 years	1- Principal/ Director	Direct Recruitment Ph.D. and First Class at either Bachelor's	35 years	50 years

COLUMN-I						COLUMN-II			
Existing Items						*Items as hereby substituted*			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
	institute of engineer-ing and rural tech-nology, Allahabad	Engineering in technology OR First class Master's Degree in Mathmatics/ Physics/ Chemistry/ English/ commerce 2. Senior most Lecturer of the concerned institution may apply for the post of Principal or Director IERT. 3.Ten years experience of teaching on the post of head of department or lecturer or senior managerial post in any government institution/ department/ public sector undertaking of limited company three years relaxation in experience for holders of master's degree in engineering or technology. 4. knowledge of Hindi <u>Note:-</u> Experience of government aided institutions/	Technology OR In respective Non Technical subjects.		There Shall be no upper age limit for senior most lecturer of the conce-rned insti-tution.		or Master's level in the relevant discipline (as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses) with Minimum of 16 years of experience in Teaching at degree or diploma level in Technical Education/Research/ Industry, out of which at least 3 years shall be post Ph.D. experience and 5 years of experience not below the level of HOD. OR First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline(as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses)with Minimum of 20 years of experience in Teaching at degree or diploma level in Technical Education/ Research/Industry, out of which 5 years of experience not below the level of HOD.		

COLUMN-I						COLUMN-II			
Existing Items						*Items as hereby substituted*			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
		institute/ public sector undertaking or limited organization will be acceptable and counted after the candidate has attained the said academic qualification.							
2.	Senior lecturer	Bachelor's degree with 55 percent marks in respective discipline of engineering or technology or associate member of institution of engineers. Eight years professional or teaching experience outof which five years must be on the post of lecturer. Two years relaxation in experience, for master's degree holders in engineering technology. 3. Know-ledge in Hindi.	Research work in concerned subjects	28 years	45 years	2- Head of Depart-ment (Engineer-ing Subject)	Direct Recruitment Ph. D. in relevant field and First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline;(as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses) Minimum of 12 years of experience in Teaching at degree or diploma level in Technical Education/ Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph.D. experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I). OR Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline(as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses) with Minimum of 15 years of experience inTeaching at degree or diploma level in Technical	28 years	45 years

COLUMN-I						COLUMN-II			
Existing Items						*Items as hereby substituted*			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
							Education/ Research/Industry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade - II).		
						Head of Depart-ment (Non-Engineer-ing Subject)	**(a) Direct Recruitment** **Ph. D. in relevant field and First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline; (as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses)** Minimum of 12 years of experience in Teaching at degree or diploma level in Technical Education/Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph.D. experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I). OR Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline(as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses) with Minimum of 15 years of experience in Teaching at degree or diploma level in Technical Education/ Research/Industry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade - II).	28 years	45 years

COLUMN-I						COLUMN-II			
Existing Items						*Items as hereby substituted*			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
3.	Lecturer in Engineering Subjects.	1-Bachelors degree with 55 percent marks in respective discipline of engineering or technology or technology or A.M.I.E (India) 2- Knowledge in Hindi. Note:- (a)Where basic degree in concerned discipline is not awarded or where candidate having such degree are not available basic bachelor's degree with respective subjects as elective or special subject shall be considered.	1- Masters degree in respective discipline 2- One year industrial experience Note:- (a) Experience of government aided institute/ public sector under takings or limited organization will be acceptable.	21 years	40 years	Lecturer in Engineering and Technical branches	For Direct Recruitment of Lecturer (Level – 9A, Entry Pay 56,100/-) (a) Engineering / Technology B.E./B.Tech. / B. S. in relevant discipline(as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses) with First Class. (b) Pharmacy B. Pharm. with First Class (c) Architecture B.Arch. or a 4-year Degree in an allied field with First Class. level. For Direct Recruitment of Lecturer (Level–10, Entry Pay 57,700/-) (a) For Technical Disciplines Bachelor's and Master's Degrees in relevant disciplines(as enumerated in the list of AICTE approved Diploma Courses) with First Class in either of the two at the time of selection.	21 years	40 years
5-	Workshop superintendent	1-Bachelor's Degree in Mechanical Engineering or equivalent qualification and two years industrial	----	21 years	40 years	Workshop superintendent	Bachelor's or Master's degree in Mechanical Engineering with First Class.	21 years	40 years

COLUMN-I						COLUMN-II			
Existing Items						*Items as hereby substituted*			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
		experience in production and maintenance or Diploma in Mechanical Engineering or equivalent qualification and eight years industrial experience in production and maintenance 2- Knowledge of hindi Note:- industrial experience of government institution/ public sector undertak-ings or limited organization only will be acceptable.							
6.	Lecturer other than Engineer-ing Subject	1- Post graduate degree with 55% marks. 2- Knowledge of Hindi.	B.Ed. or equivalent degree	21 years	40 years	Lecturer (Non-Engineer-ing Subject)	For Direct Recruitment of Lecturer (Level – 9A, Entry Pay 56,100/-) (a) Hotel Management and Catering Technology A minimum 4-year Bachelor's Degree in HMCT with First Class or equivalent.	21 years	40 years

COLUMN-I						COLUMN-II			
Existing Items						*Items as hereby substituted*			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
							(b) Fine Arts Bachelor's degree in appropriate discipline of Fine Arts (Applied Arts, Painting and Sculpture) with First Class. (c) Design Bachelor's degree in design or a minimum 4-year Diploma in any one of the streams of Design, Fine Arts, Applied Arts and Architecture or Bachelor's degree in Engineering with First Class or Equivalent (d) Sciences and Humanities Master's degree in appropriate subject with First Class For Direct Recruitment of Lecturer (Level – 10, Entry Pay 57,700/-) (a) For Sciences and Humanities A Master's degree with First Class or equivalent in a relevant subject and, must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET.		
28.	Librarian	Bachelor Degree with two years diploma in Library Science.		21 years	40 years	28-Librarian	1. Master's Degree in Library Science with at least First Class or equivalent and a consistently good academic record,having the knowledge of	21 years	40 years

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Items	*Items as hereby substituted*
	computer. 2. Qualifying in the National Level Test conducted for the purpose by UGC or other equivalent test as approved by the UGC. <u>For Diploma level Institutions:</u> Librarians who have been recruited between 01-01-1996 and 15-03-2000 in the Diploma level Institutions, with the existing recruitment rules to be considered for up-gradation under CAS in the next higher grade of Senior Scale only. However, for further upward movement under CAS, they are required to acquire minimum educations qualification in a manner similar to that as laid down in AICTE notification 2000 (Degree) and in subsequent Clarifications/Notifications. (b) For Degree level Institutions: same as above.

Note:-

1. For initial direct recruitment at the level of Lecturers, HOD and Principal, the eligibility conditions in respect of academic and research requirements shall be or may be or have been prescribed by the AICTE of Approved 40 subjects through Regulations.
2. All advancements to higher grade pays in various cadres will be effected subject to completion of two AICTE approved refresher programs of not less than two weeks duration each and two one week each TEQIP sponsored programs.
3. Equivalence for Ph.D. is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

4. Ph.D. shall be from a recognized University.
5. In case of research experience, good academic record and books / research paper publications / IPR / patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to head of the department with active participation record in designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications / IPR / patents, *etc.* as deemed fit by the expert members of the Selection Committee.

   Industrial experience means- (i) Working experience in public sector undertaking is preferred. However private sector can also be considered provided the Industry has a successful continuous standing of at least 10 years.

   (ii) The experience can be considered only after production of certificate (experience) issued by competent authority.

   (iii) The area of operation of Industry shall be related to the relevant field of discipline.

   (iv) The experience certificate shall include work profile, designation and duration of service.

   (v) 50% of the total service rendered in industries shall be considered as an equivalent to teaching experience provided total experience is at least 10 years and above.
6. For the Post of Head of Department and Principal flair for Management and Leadership is essential as deemed fit by the expert members of the Selection Committee.
7. If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below.

Grade Point	Equivalent Percentage
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

8. All the conditions of eligibility and academic qualifications laid down by the AICTE shall be applicable for direct recruitment of Assistant Librarian/ College Librarian.
9. Experience of Government Institutions, Institute, Public Sector Undertakings or Limited Organization only will be acceptable and will be counted after the candidate has attained the prescribed educational qualification.
10. Regarding essential qualification where Basic Degree in concerned subject is not awarded basic first-class bachelor/master degree with respective subject as elective or special subject shall be considered.
11. All other conditions will be applicable as per AICTE (Diploma) regulations, 2019 and amended from time to time.

By order

SUNIL KUMAR SONKAR,

Secretary,

Board of Technical Education, U.P.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 267 राजपत्र–2021–(600)–599 प्रतियां–(क0 / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 प्राविधिक शिक्षा–2021–(601)–500 प्रतियां–(क0 / टी0 / ऑफसेट)।